Title: Need to set up joint venture of NTPC and CCI for making PPC cement by utilising fly-ash.

डॉ. चरणदास महंत (जांजगीर) : सभापति महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूाण रोकने संबंधी अनेक निर्देश मौजूद हैं। पर्यावरण मंत्रालय के 14-9-99 की अधिसूचना अनुसार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग करना है। कोरबा (छत्तीसगढ़) मे प्रतिदिन 65000 टन कोयला जलता है और 26000 टन के लगभग प्रतिदिन फ्लाई ऐश निर्मित होती है जबकि पूरे भारत में 82 थर्मल पॉवर स्टेशन हैं, जिससे 8.5 करोड़ टन फ्लाई ऐश प्रति र्वा निकलती है जिसमें सीसा जिंक, आर्सेनिक सिलिकान जैसे हैवी मेटल (भारी तत्व) भूजल, पौधे, जानवरों के लिये अत्यधिक धातक साबित हो रहे हैं। वर्तमान में इस समस्या का हल ऊर्जा मंत्रालय- एन.टी.पी.सी. एवं सी.सी.आई. का संयुक्त उपक्रम बनाकर पी.पी.सी. सीमेंट विनिर्माण में कर सकती है। इससे छत्तीसगढ़ के कोरबा एवं मांदर के साथ ही देश के अन्य स्थानों पर सी.सी.आई. के उपक्रम के अधिकारी कर्मचारियों के परिवार की सुरक्षा के साथ ही देश को जल, वायु एवं भूमि प्रदूाण से बचाया जा सकता है एवं फ्लाई ऐश का कारगर उपयोग किया जा सकता है।

अत: अनुरोध है कि उद्योग विभाग मध्यस्थता कर एन.टी.पी.सी. एवं सी.सी.आई. के बीच संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की दिशा में शीध्र कार्यवाही करें।